



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



क्रमांक प-27(1)(39)/निमअ/लाप्रोयो/2024/ईएफ-02384/

जयपुर, दिनांक:-

1. जिला कलेक्टर, समस्त।
2. उपनिदेशक/सहायक निदेशक
महिला अधिकारिता, समस्त।

विषय- लाडो प्रोत्साहन योजना के सम्बन्ध में संशोधित समेकित गाईडलाईन्स।

सन्दर्भ- विभागीय पूर्व पत्रांक राजकाज सन्दर्भ सं. 15146502 दिनांक 07.05.2025।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेखानुदान घोषणा 2024-25 बिन्दु (34) की अनुपालना में राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए “लाडो प्रोत्साहन योजना” 01.08.2024 से सम्पूर्ण राज्य में लागू की गई है। लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 7 किशतों में 1.50 लाख रु. का भुगतान लाभार्थियों को देय है, जिसमें प्रथम दो किशतों का भुगतान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, तीसरी से छठी किशत तक का भुगतान शिक्षा विभाग एवं सातवीं किशत का भुगतान उच्च शिक्षा विभाग के स्तर पर देय है। पूर्व में संचालित राजश्री योजना की तृतीय किशत का भुगतान भी लाडो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से किया जा रहा है। महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर नोडल विभाग के रूप में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

लाडो प्रोत्साहन योजना राज्य सरकार की पलैगशिप योजनाओं में से एक है। योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 1.50 लाख रु. का संकल्प पत्र दिया जाता है, जो डिजिटल रूप में ओजस पोर्टल पर लाभार्थियों के लिए उपलब्ध है। योजना के अन्तर्गत 01.08.2024 से अब तक 6.50 लाख से अधिक बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है तथा योजना के अन्तर्गत उपरोक्त अवधि में 360.13 करोड़ का व्यय किया गया है।

हाल ही में मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में लाडो प्रोत्साहन योजना से संबंधित विभागों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक एवं राज उन्नति पोर्टल पर सूचीबद्ध परिवेदना के गहन परीक्षण उपरांत दृष्टिगत हुआ है कि-

- प्रथम किशत की लाभार्थी बालिकाओं के एक वर्ष के समय जीवित होने के प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण बालिकाओं को द्वितीय किशत का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है, जबकि बालिकाओं के टीकाकरण का कार्य लगभग 9-12 माह में पूर्ण हो जाता है। बालिका का टीकाकरण पूर्ण होने के बाद पीसीटीएस पोर्टल पर टीकाकरण का ऑटो अपडेशन हो रहा है, अतः द्वितीय किशत का लाभ लेने हेतु बालिका के जीवित होने के प्रमाण पत्र का औचित्य नहीं है।
- गाईडलाईन्स में राजस्थान के मूल निवास प्रमाण पत्र की बाध्यता के कारण बालिकाओं के प्रथम कक्षा में प्रवेश के दौरान तृतीय किशत मिलने में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है एवं इस कारण से बालिकाओं को निर्बाध (Hassle free) लाभ नहीं मिल पा रहा है। चूंकि राजस्थान में सभी डीबीटी योजनाओं का लाभ जन-आधार के माध्यम से दिया जा रहा है, ऐसे में राजस्थान की निवासी महिला, जिनके पास जन-आधार कार्ड हो, को भी लाभ दिया जा सकता है।
- योजना के अन्तर्गत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पी.सी.टी.एस./ओजस पोर्टल एवं शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल के मध्य डाटा कन्वर्जेन्स का अभाव है। जिले एवं ब्लॉक वाईज डाटा बेस एवं डाटा विश्लेषण की अनुपलब्धता है। नोडल विभागों में समन्वय एवं इन्टीग्रेटेड मॉनिटरिंग प्रणाली उपलब्ध नहीं है। अतः संबंधित विभागों में समन्वय एवं इन्टीग्रेटेड पोर्टल की आवश्यकता है।

RajKaj Ref No.:
21164987



Digitally signed by Bhawani Singh Detha
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2026.03.19 17:30:00 IST
Reason: Approved

उपरोक्त कठिनाईयों के निराकरण के उद्देश्य एवं लाभार्थियों को योजना में बाधा रहित (Hassle free) समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से समुचित स्वीकृति उपरांत यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया है कि, चूंकि पीसीटीएस पोर्टल पर बालिका के 9-12 माह के टीकाकरण का डाटा एवं महिला के पास जन-आधार उपलब्ध होने पर उसके राजस्थान का प्रमाण होने का प्रमाण उपलब्ध है। अतः योजना में द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण-पत्र एवं राजस्थान का जन-आधार उपलब्ध होने पर मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

इसके अतिरिक्त आवश्यक संबंधित डाटा पी.सी.टी.एस/ओजस पोर्टल, शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। इसलिए उपलब्ध डाटा के ऑटो फैचिंग मोड का उपयोग करते हुए सभी पात्र बालिकाओं को सुगम रूप (Hassle free) से लाभ सुनिश्चित किया जाये। इस दृष्टि से योजना की गाईडलाईन में निम्नानुसार संशोधन किये गये हैं:-

क्र.सं.	लाडो प्रोत्साहन योजना में वर्तमान में प्रावधान	संशोधन पश्चात् प्रावधान
बिन्दु संख्या 3.1(पात्रता)	प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी हो।	प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो।
5.1(2) द्वितीय किश्त	बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एवं समस्त टीकाकरण पर द्वितीय किश्त का लाभ देय होगा।	बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा।

ई-गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DoIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पी.सी.टी.एस/ओजस पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा, जिसके लिए संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण एवं दिशा-निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे।

वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 162600500 दिनांक 13.03.2026 द्वारा सक्षम स्तर से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त लाडो प्रोत्साहन योजना की गाईडलाईन में अपेक्षित संशोधन किये जा रहे हैं, जो योजना के प्रारंभ होने की दिनांक 01.08.2024 से प्रभावी माने जायेंगे। राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किश्तों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

उपरोक्त के क्रम में योजना की संशोधित समेकित गाईडलाईन्स का क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

संलग्न-योजना की संशोधित समेकित गाईडलाईन्स।

(भवानी सिंह देथा)
प्रमुख शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयपुर
जयपुर, दिनांक:-

क्रमांक प-27(1)(39)/निमअ/लाप्रोयो/2024/ईएफ-02384/

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- विशिष्ट सहायक, माननीया उपमुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान सरकार।
- विशिष्ट सहायक, माननीया राज्य मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग।
- प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
- प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल पर अपेक्षित संशोधन करावें एवं वी.सी के माध्यम से समस्त डीईओ का आमुखीकरण करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
- निदेशक, प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, बीकानेर।

RajKaj Ref No.:
21164987

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh Detha
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2026.03.19 17:30:00 IST
Reason: Approved

8. मिशन निदेशक (एनएचएम), चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर को भेजकर लेख है कि ओजस पोर्टल पर अपेक्षित संशोधन करावें।
9. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर।
10. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जनस्वास्थ्य/आईईसी/आरसीएच/एड्स, जयपुर।
11. वित्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
13. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, समस्त संभाग।
14. परियोजना निदेशक, मातृ स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
15. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
16. समस्त उपनिदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं।
17. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
18. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग।
19. समस्त जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य अधिकारी।
20. समस्त खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
21. रक्षित पत्रावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh Detha
Designation : Principal Secretary To
Government
Date: 2026.03.19 17:30:00 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
21164987



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
आयुक्तालय, महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर



लाडो प्रोत्साहन योजना
(संशोधित गाईडलाईन-2)

1. योजना का परिचय:-

लेखानुदान घोषणा (2024-25) बिन्दु (34) की पालना में लाडो प्रोत्साहन योजना दिनांक 01.08.2024 से पूरे प्रदेश में लागू की गई है। वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर दिनांक 12.03.2025 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विधानसभा में की गई घोषणा (44) के अनुसार लाडो प्रोत्साहन योजना में 1 लाख रु. की राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रु. किया गया है।

2. योजना के उद्देश्य:-

- 2.1 राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं बालिका का समग्र विकास सुनिश्चित करना।
- 2.2 बालिकाओं के पालन-पोषण, शिक्षण व स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना।
- 2.3 संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना।
- 2.4 बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते शिशु लिंगानुपात को सुधारना।
- 2.5 बालिकाओं का विद्यालयों में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना।
- 2.6 बालिकाओं की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करना एवं बाल विवाह में कमी लाना।

3. पात्रता -

- 3.1 प्रसूता राजस्थान की निवासी हो एवं उसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो।
- 3.2 राजकीय चिकित्सा संस्थान/जननी सुरक्षा योजना (JSY) योजना के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका।

4. योजना का विवरण :-

- 4.1 बालिका के जन्म पर ₹1.50 लाख की राशि का 'संकल्प पत्र' प्रदान किया जाएगा।
- 4.2 सम्पूर्ण भुगतान 7 किशतों के रूप में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन किया जाएगा।
- 4.3 बालिका के व्यस्क होने तक पहली छः किशतें बालिका के माता-पिता/अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में एवं सातवीं किशत बालिका के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाईन हस्तांतरण की जायेगी।
- 4.4 राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित किया गया है एवं राजश्री योजना की आगामी किशतों का लाभ पात्रतानुसार लाडो प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत देय होगा।

5. योजना के अन्तर्गत देय राशि :-

5.1 योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध देय राशि -

किश्त	विवरण	देय राशि (रु.)
1	पात्र चिकित्सा संस्थानों में बालिका के जन्म पर	2500
2	बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर लाभ देय होगा	2500
3	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर	4000
4	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर	5000
5	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर	11000
6	राजकीय विद्यालय/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय में बालिका के कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर	25000
7	सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर	1,00,000
कुल		1,50,000

5.2 योजना की प्रथम दो किश्तों का लाभ लेने के बाद किसी चरण में किसी किश्त का लाभ नहीं लिए जाने की स्थिति में पात्रता पूर्ण करने वाली बालिका को अगली किश्त का लाभ दिया जा सकेगा।

5.3 लाडो प्रोत्साहन योजना में तीसरी एवं आगे की किश्तों का लाभ लेने के लिए संतान की संख्या की सीमा का कोई बंधन नहीं रखा गया है। पूर्व में प्रथम दो किश्तों का लाभ ले चुकी सभी बालिकाओं को योजना का लाभ देय होगा।

6. प्रक्रिया:-

6.1 गर्भवती महिला की एएनसी जॉच के दौरान आधार एवं जन आधार का विवरण, बैंक खाते का विवरण आदि दस्तावेज प्राप्त कर उनका चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संधारण किया जायेगा एवं पीसीटीएस पोर्टल पर विवरण इन्द्राज किया जायेगा।

6.2 योजना के अन्तर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चिता पर प्रथम किश्त का लाभ बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में देय होगा।

6.3 योजना का लाभ प्राप्त करने एवं भविष्य में लाभार्थी की ऑनलाईन ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी./पीसीटीएस आई.डी. नम्बर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जायेगा।

6.4 बालिका के 9-12 माह तक लगने वाले समस्त टीकाकरण पूर्ण होना प्रमाणित होने पर एवं सम्पूर्ण टीकाकरण का पी.सी.टी.एस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन होने के उपरांत चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा देय राशि बालिका की माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक/पालनहार के बैंक खाते में ऑनलाईन

ट्रांसफर की जायेगी। लाभार्थी को द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु बालिका के एक वर्ष तक जीवित होने के प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

- 6.5 योजना का लाभ राजस्थान में निवास कर रही प्रसूताओं के लिये देय है। ऐसी प्रसूताएं जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुआ है एवं जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है तथा जिसके पास आधार एवं जन आधार कार्ड हो, को निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संस्थान से लाडो प्रोत्साहन योजना की प्रथम किश्त का लाभ देय होगा।
- 6.6 चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के स्तर पर ऑटो अपडेशन मोड द्वारा ओजस पोर्टल के माध्यम से डी.बी.टी. प्रणाली द्वारा लाभार्थी को भुगतान किया जाएगा। प्रथम व द्वितीय किश्त का लाभ प्राप्त करने के लिये लाभार्थी को पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
- 6.7 द्वितीय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के आधार पर टीकाकरण का समस्त डाटा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पीसीटीएस/ओजस पोर्टल पर ऑटो अपडेशन करने पर देय होगा।
- 6.8 शिक्षा विभाग द्वारा तीसरी किश्त से लेकर छठी किश्त का लाभ देने हेतु लाभार्थी के प्रथम कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने के उपरान्त सम्बंधित राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के द्वारा जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी./मैम्बर आई.डी./APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी./जन-आधार का उपयोग करते हुए बालिका का विवरण शाला दर्पण पोर्टल/प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर ऑनलाइन ट्रैक किया जाएगा तथा संबंधित किश्त पात्रतानुसार देय होने पर डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 6.9 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा अंतिम किश्त का लाभ देने हेतु, जैसा लागू हो यथा पीसीटीएस आई.डी., मैम्बर आई.डी., APAAR (ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री) आई.डी. जन-आधार का उपयोग करते हुए ऑनलाइन ट्रैक कर लाभार्थी के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने तथा 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर योजना का लाभ डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 6.10 प्रथम दो किश्तों के लिए बजट चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को, तीसरी से छठी किश्त के लिए बजट शिक्षा विभाग को तथा सातवीं किश्त के लिए बजट उच्च शिक्षा विभाग को निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा हस्तांतरित किया जायेगा। जिसके लिए निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के स्तर पर आवश्यकतानुसार बजट प्रावधान करवाया जायेगा।

7. पर्यवेक्षण:-

- 7.1 योजना का प्रशासनिक विभाग निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास होगा।
- 7.2 योजना की समीक्षा जिला स्तर पर संबंधित जिला कलक्टर के द्वारा तीन माह में एक बार की जाएगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जिला टास्क फोर्स के द्वारा योजना का पर्यवेक्षण किया जायेगा।
- 7.3 योजना के सफल संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर योजना का संचालन किया जायेगा एवं आवश्यकता होने पर समुचित संशोधन किए जा सकेंगे।
- 7.4 ई-गवर्नेंस के माध्यम से योजना के बेहतर क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण की दृष्टि से DoIT द्वारा योजना हेतु एक पृथक पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर पी.सी. टी.एस/ओजस पोर्टल एवं शाला दर्पण पोर्टल के डाटा को इन्टीग्रेट किया गया है। इससे योजना की रियल टाईम मॉनिटरिंग एवं डाटा का एनालिटिक विश्लेषण संभव हो सकेगा।
